न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन **अधिकारी - महेश गगोरिया** (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -35/2022

अनवान

1. बृजराज-बृजमोहन पुत्र स्व. रामकिशन मीणा, आयु क्रमशः 35 व 31 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी धावदकलां, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान।

-वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती सन्या बाई बेवा शंकरलाल मीणा, जाति मीणा, आयु 55 वर्ष, निवासी धावदकलां, तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. जितेन्द्र मीणा पिता स्व0 शंकरलाल मीणा, जाति मीणा, आयु 34 वर्ष, निवासी धावदकलां, तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री बाबूराम देराश्री अभिभाषक प्रार्थी
श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 28.08.2024

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. का प्रस्तुत किया है, न्यायालय श्रीमान् में विचाराधीन है। वादीगण का वाद-पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित है जो आवश्यक रूप से उनके पक्ष में निर्णित व डिक्री होगा। ग्राम धावदकलां प.ह. धावदकलां तहसील रावतभाटा में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 01 व 02 व सह खातेदारी की कृषि भूमियां स्थित है, जिस पर दोनों पक्ष काश्तकारी कार्य करते चले आ रहे है तथा मौके पर कृषि भूमि का बंटवाड़ा होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हक व हिस्से की भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में बंटवाड़ा नहीं होने से यह प्रार्थना-पत्र निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार है- ग्राम धावदकलां, प.ह. धावदकलां की सम्वत् 2072-75 पर दर्ज रिकॉर्ड है:- खाता संख्या 160, खसरा संख्या 624 रकबा 2.73 हेक्टर लगानी 13.65 रूपये एवं खाता संख्या 161 खसरा संख्या 312 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा संख्या 313 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा संख्या 314 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा संख्या 315 रकबा 0.26 हेक्टर खसरा संख्या 316 रकबा 0.26 हेक्टर, खसरा संख्या 317 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा संख्या 318 रकबा 0.16 हेक्टर कुल किता 07 कुल रकबा 1.50 हेक्टर, लगानी 30.03 रूपये है एवं खाता संख्या 162 खसरा संख्या 40 रकबा 1.61 हेक्टर एवं खसरा संख्या 41 रकबा 1.70 हेक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.31 हेक्टर, लगानी 16.55 रूपये है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के संयुक्त व शामलाती खातेदारी की होकर मौके पर कृषि भूमियों का पारिवारिक बंटवारा कर अपने-अपने हक [illegible] कृषि [illegible] य से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण खाता संख्या 160 पर दर्ज [illegible] 624 पर अपने 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है इसी प्रकार खाता संख्या 161 में [illegible] 317 पर काबिज होकर काश्त कर रहे है, इसी प्रकार खाता संख्या 162 [illegible] खसरा संख्या 40 पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है। किन्तु मौके पर प्रार्थी व विपक्षीगण की [illegible] भूमियां आपस में मिली हुई है तथा बीच में नहर इत्यादि बनी हुई है। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं होने से प्रार्थी वादीगण ने बंटवारे का प्रकरण न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत कर रखा है। अन्त में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि विपक्षीगण प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या 01 व 02 में वर्णित खसरा संख्या 313 गे.मु.आ.चा. रकबा 2 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.10.10 13:06:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

खाते एवं कब्जे की कृषि भूमियों पर किसी प्रकार से नाजायज प्रवेश कर कब्जा नहीं करे तथा किसी प्रकार का कोई निर्माण सामग्री डालकर निर्माण कार्य ना तो स्वयं करें ना ही किसी दिगर व्यक्ति से करावे तथा इस दौरान अगर निर्माण कार्य कर लिया हो तो उसे जरिये आदेशात्मक अस्थाई निषेधाज्ञा हटाये जाने के आदेश भी प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब करने पर विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत पैरवी हेतु मय वकालतनामा उपस्थित हुए। अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-212 का जवाब प्रस्तुत करने से इन्कार कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम धावदकलां, प.ह. धावदकलां की सम्वत् 2072-75 पर दर्ज रिकॉर्ड है:- खाता संख्या 160, खसरा संख्या 624 रकबा 2.73 हेक्टर लगानी 13.65 रूपये एवं खाता संख्या 161 खसरा संख्या 312 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा संख्या 313 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा संख्या 314 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा संख्या 315 रकबा 0.26 हेक्टर खसरा संख्या 316 रकबा 0.26 हेक्टर, खसरा संख्या 317 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा संख्या 318 रकबा 0.16 हेक्टर कुल किता 07 कुल रकबा 1.50 हेक्टर, लगानी 30.03 रूपये है एवं खाता संख्या 162 खसरा संख्या 40 रकबा 1.61 हेक्टर एवं खसरा संख्या 41 रकबा 1.70 हेक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.31 हेक्टर, लगानी 16.55 रूपये सहखाते दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त भूमि में से आराजी संख्या 313 गे0मु0आ0चा0 रकबा 02 बिस्वा पर व कब्जे की कृषि भूमियों पर प्रार्थीगण शाश्वत रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के सहखातेदारी अधिकार की उक्त कृषि भूमियों पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा नाजायत प्रवेश कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस बाबत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जवाब में अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा वकील प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र वाद पत्र प्रस्तुत होने के 02 वर्ष बाद पेश हुआ है जिससे पृथमदृष्टया ही निरस्त फरमाया जावे, क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र वाद पत्र से संबंधित नहीं है तथा वाद पत्र में जिन आराजीयात का बंटवारा चाहा गया है उन्ही आराजीयात को लेकर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा ग्राम धावदकलां की आराजी संख्या 313 में अप्रार्थीगण का हिस्सा निहित है तथा आराजी संख्या 313 आराजी चाह से अप्रार्थीगण अपने हिस्से का पानी निकाल रहे है तथा अपने हिस्से की कृषि भूमियों को सिंचित कर रहे है इसलिए प्रार्थना पत्र मनगढंत, झूठा व विधि से वर्जित होने के कारण प्रथमदृष्टया की निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत ग्राम धावदकलां, प.ह. धावदकलां की सम्वत् 2072-75 की खाता संख्या 160, खसरा संख्या 624 रकबा 2.73 हेक्टर लगानी 13.65 रूपये एवं खाता संख्या 161 खसरा संख्या 312 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा संख्या 313 रकबा 0.07 हेक्टर गै0म0आ0चा0, खसरा संख्या 314 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा संख्या 315 रकबा 0.26 हेक्टर खसरा संख्या 316 रकबा 0.26 हेक्टर, खसरा संख्या 317 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा संख्या 318 रकबा 0.16 हेक्टर कुल किता 07 कुल रकबा 1.50 हेक्टर एवं खाता संख्या 162 खसरा संख्या 40 रकबा 1.61 हेक्टर एवं खसरा संख्या 41 रकबा 1.70 हेक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.31 हेक्टर कृषि भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है तथा प्रार्थीगण का हक हिस्सा पृथमदृष्टया होना साबित होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में अधिक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत भूमि [illegible] प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि में किसी प्रकार का अमल दखल, मदाखलत , निर्माण [illegible] स्वयं करें, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.10.10 13:06:56 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)